


331/544/18  
30/1/18



फार्म

\* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो देवेन्द्र कुमार साहू 2. वर्तमान धारित पद उप सहायक माशिन  
3. वर्तमान वेतन 37,500/- + डी.ए. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम - <u>रसुलिया</u> <u>पट्टा</u> <u>तह. - हुजूर</u> <u>जिला - भोपाल</u>	-	<u>ग्रामपंच क्रमांक 59</u> <u>(अवासीय)</u> <u>112.17 वर्ग मीटर</u>	<u>रु. 5 लाख लगभग</u>	<u>स्वयं के नाम पर</u>	<u>रजिस्टर्ड क्रय - पत्र</u> <u>ह्वाश मीर्याम कालोनी</u> <u>में सूरिह किलर</u> <u>डवलपति, भोपाल</u> <u>से क्रय किया गया</u> <u>है</u>	<u>NIL</u>	-

- \* जहां लागू न हो काट दीजिए।
- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Devesh Kumar Sahu  
30-1-18  
नाम देवेन्द्र कुमार साहू  
पद उप सहायक माशिन  
म.प्र. विद्यालय ताला तालिका